न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 23/2003/223 आर टी ए

1. मोमनराम पुत्र आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
2. भीयांराम पुत्र आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

––अपीलांटस

बनाम

1. गोपीराम पुत्र आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
2. चन्दो पुत्री आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
3. किस्तुरी पुत्री आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
4. जीवणी पुत्री आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
5. तुलछा पुत्री आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।
6. दौलतराम (फौत)

6/1 नन्दराम पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

6/2 मदनलाल पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

6/3 रामप्रताप पुत्र दौलतराम जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

7. नानक राम (फौत)

7/1 सावित्री पत्नि स्व. नानक जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

7/2 लालचन्द पुत्र स्व. नानक जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

7/3 विनोद पुत्र स्व. नानक जाति ब्राहम्ण निवासी ढुढियावाली तहसील रानीयां जिला सिरसा हरियाणा।

8. देवीलाल पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.02 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्र0सं0 113/2002

उपस्थित :–
श्री भोजराज भार्गव अधिवक्ता अपीलाण्ट सं. 1
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट सं. 2
श्री बहादूरराम स्वामी अधिवक्ता रेस्पो0
श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता रेस्पो0
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9

निर्णय दिनांकः–30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया जिसमे प्रतिवादी 2 ता 5 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने मे सहमति प्रकट की तथा प्रतिवादी सं. 8 ने उपस्थित

होकर अपनी खरीदशुदा भूमि के संबंध मे बांहमी बंटवारा अनुसार दिये जाने मे कोई मे कोई एतराज नही किया एवं दावा डिक्री किये जाने मे सहमति दी तथा प्रतिवादी सं. 6/1 से 6/3 ने जवाब प्रस्तुत नही किया और शेष उपस्थित न आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई। इसके बावजूद वाद साबित होते हुए तथा प्रतिवादीगण का कोई एतराज न होते हुए दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्टस ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत तथा अनदेखा कर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। विचारणीय न्यायालय द्वारा दावा मे न तो सही तरीके से तनकीयात कायम की गई और न ही तनकीयात का बिन्दूबार तरीके से सही तरीक से विवेचन किया गया। तनकी सं. 1 व 2 का निर्णय तो सही किया गया है लेकिन तनकीयात सं. 3 ता 5 का निर्णय कतई खिलाफ कानून किया गया है। तनकी सं. 3 मे अधीनस्थ न्यायालय ने बाहमी विभाजन न होना अंकित किया है जबकि बाहमी विभाजन का इस आराजी का होने बाबत कोई विवाद नही है। वादीगण ने अपने दावा मे बाहमी विभाजन को प्लीड किया है तथा इस बाबत प्रतिवादी सं. 2 ता 5 द्वारा स्वीकार किया गया व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब ही नही दिया गया है जिससे वादीगण के सशपथ ब्यान का कोई विरोध न होते हुए न मानने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। तनकी सं. 4 का निर्णय जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी सं. 8 का था, भी विचारणीय न्यायालय ने मनमाने तरीके से गलत किया है। बैयनामा प्रदर्श4 दिनांक 16.08.96 प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष मे रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा अन्य पक्षकारान ने प्रतिवादी सं. 8 को यह भूमि विक्रय की होना तथा पैरा 7 अर्जीदावा मे वर्णित भूमि बाहमी विभाजन मे प्रतिवादी सं. 8 को मिली होना स्वीकार भी किया है। तनकी सं. 5 की बाबत पक्षकारान मे कोई विवाद नही है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अपने हिस्सा की शेष भूमि तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा अपने हिस्सा की कुल भूमि का हक वादीगण के पक्ष मे तर्क किया हुआ है एक स्वीकृत तथ्य है तथा पूर्व मे इसी आराजी बाबत दर्ज इंतकाल मे इनका हक तर्क किया हुआ होना माना जा चुका है फिर भी विचारण न्यायालय ने अपनी तरफ से ही हितबद्ध पक्षकार होना अंकित कर इस तनकी का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 22 एनडीआर के प.न. 126/343 के कि.न. 10, 11, 20, 21 व प.न. 126/344 के कि.न. 1, 10, 11 प्रतिवादी सं. 8/रेस्पो0 सं. 8 द्वारा खरीदशुदा है इसका इंतकाल भी रेस्पो0 के नाम दर्ज हो चुका है। शेष भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं.

8 द्वारा दावा के पैरा सं. 7 के अनुसार विभाजन किये जाने मे अपनी सहमति दी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विक्रय विलेख के जरिये किये गये बैचान को विधिवत नही मानते हुए रेस्पो0 सं. 8/प्रतिवादी सं. 8 को विभाजन का भी अधिकारी नही माना जबकि रेस्पो0 सं. 8 द्वारा प्रश्नगत भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है तथा बैयनामा के आधार पर इंतकाल भी रेस्पो0 सं. 8 के नाम दर्ज हो चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाता है तो रेस्पो0सं. 8 को कोई आपत्ति नही है।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 9 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. सं. 8 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय विलेख दिनांक 16.08.96, फोटोप्रति इंतकाल सं. 40 चक 22 एनडीआर बहक देवीलाल दिनांक 19.08.96 अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे बाहमी विभाजन के आधार पर संयुक्त खाता की भूमि बाबत खाता तकसीम का अनुतोष चाहते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण मे बाहमी बंटवारा होना साबित नही, प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष मे बैचान का पंजीबद्ध न होना तथा प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 कर हक हिस्सा तर्क किया होना साबित न होने का आधार लेते हुए दावा खारिज कर दिया गया जबकि अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा बाहमी विभाजन के आधार पर दावा डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट की थी तथा प्रतिवादी सं. 8 के पक्ष मे निष्पादित बैयनामा को स्वीकार किया गया था। जिससे साबित था कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के संबंध मे बाहमी विभाजन किया हुआ है तथा इसी बाहमी विभाजन के अनुसार पक्षकारान काबिज

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा बाहमी विभाजन पर उभय पक्षकारान सहमत होने के स्थिति मे दावा सहमति के आधार डिक्री किया जाना आपेक्षित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखित साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए बाहमी बंटवारा के संबंध मे दस्तावेजी प्रस्तुत नही करने के आधार पर अपीलांट का वाद खारिज कर दिया। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2002 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ